

अमाधारण

EXTRAORDINARY प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਜਂ. 167] No. 167] दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 7, 2011/आश्विन 15, 1933 DELHI, FRIDAY, OCTOBER 7, 2011/ ASVINA 15, 1933

[ रा.स.स.क्षे.दि. सं. 172 [N.C.T.D. No. 172

भाग-IV

PART-IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शिक्षा निदेशालय

(स्थापना - IV शाखा)

## अधिसचना

दिल्ली, 7 अक्तूबर, 2011

सं फा. 4 (6 X 350) स्था.-IV/2011/621.—बाल नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) की धारा 23 की उप-धारा (1) के अनुसरण में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद् की दिनांक 23 अगस्त, 2010 की अधिसूचना संख्या 215 फा.सं. 61-03/20/22010/एनसीटीई (एन. एंड एस.) के अनुसार अधिनियम की धारा 2 के खंड (ध) में संदर्भित किसी विद्यालय में प्रथम कक्षा से आठवीं कक्षा तक के किसी अध्यापक की नियुक्ति के लिए पात्र बनने वाले व्यक्ति की एक न्यूनतम अनिवार्य योग्यता का उल्लेख किया है कि उसे अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करनी चाहिए जो प्रयोजन के लिये राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एनसीटीई) द्वारा बनाए गए दिशा-निदेशों के अनुसार उपयुक्त सरकार द्वारा आयोजित की जाएगी।

और जबकि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् ने दिनांक 14 फरवरी, 2011 के पत्र संख्या 76-4/2010/एनसीटीई/अकाद./ए 31222 के अनुसार अध्यापक पात्रता परीक्षा आयोजित करने के लिए दिशा-निदेशों को विनिर्दिष्ट किया है। पैरा 10 (प्रयोजनीयता) उक्त दिशा-निदेश विनिर्दिष्ट करते हैं कि:-

"कोई राज्य/विधान मंडल सहित संघ राज्य क्षेत्र द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा निम्न पर लागू होगी:—

- (i) राज्य सरकार/विधान मंडल सिंहत संघ राज्य क्षेत्र और आरटीई अधिनियम की धारा 2 के खंड (ध) के उप-खंड (i) में संदर्भित स्थानीय प्राधिकरण का कोई विद्यालय, और
- (ii) राज्य संघ राज्य क्षेत्र में आरटीई अधिनियम की धारा 2 के खंड (ध) उप-खंड (ii) में संदर्भित कोई विद्यालय।
- (i) और (ii) पर उल्लिखित कोई विद्यालय किसी प्रत्याशी की योग्यता पर भी विचार कर सकता है जिसने किसी अन्य राज्य/विधान मंडल सहित संघ राज्य क्षेत्र द्वारा प्रदान किया गया अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रमाण-पत्र प्राप्त किया है। यदि कोई राज्य सरकार/विधान मंडल सहित संघ राज्य क्षेत्र अध्यापक पात्रता परीक्षा आयोजित न करने का निर्णय लेती है, तो उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में (i) एवं (ii) में उल्लिखित कोई विद्यालय केन्द्रीय सरकार द्वारा अयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा पर विचार करेगी।

और जबिक केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् को केन्द्रीय सरकार की ओर से प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के लिये केन्द्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा आयोजित करने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया है।

अत: अब, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं. फा. 27/59-एचआईएम(1) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल दिल्ली के विद्यालयों में प्रथम कक्षा से पांचवी कक्षा एवं छठी कक्षा से आठवीं कक्षा के लिये अध्यापकों की नियुक्ति के लिये कोई राज्य अध्यापक पात्रता परीक्षा के स्थान पर केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा आयोजित केन्द्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा को ही मान्यता प्रदान करते हैं।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के उपराज्यपाल के आदेश से और उनके नाम पर,

सुरेश गुप्ता, अतिरिक्त सचिव

## DIRECTORATE OF EDUCATION

(Establishment-IV Branch)

## NOTIFICATION

Delhi, the 7th October, 2011

No. F. 4(6)(350)/E.-IV/2011/621.—In pursuance of sub-section (1) of Section 23 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (35 of 2009) the National Council for Teacher Education (NCTE) vide Notification No. 215, F. No. 61-03/20/2010/NCTE/(N&S), dated 23rd August, 2010 laid down one of the minimum essential qualification for a person to be eligible for appointment as a teacher in Class I to VIII in a school referred to in clause (n) of Section 2 of the said Act, that he/she should pass in the Teacher Eligibilty Test (TET) which will be conducted by the appropriate Government in accordance with the guidelines framed by National Council for Teacher Education (NCTE) for the purprose.

And Whereas, National Council for Teacher Education (NCTE) vide letter No. 76-4/2010/NCTE/Acad./ A31222, dated 14th February, 2011 has specified the guidelines for conducting the Teacher Eligibility Test (TET). Para 10 (Applicability) of said guidelines specifies that:—

"TET conducted by a State Government/UT with legislature shall apply to:

- (i) A school of the State Government/UT with legislature and local authority referred to in sub-clasue (i) of clause (n) of Section 2 of the RTE Act; and
- (ii) A School referred to in sub-clause (ii) of clause(n) of the Section 2 of the RTE Act in that State/UT.

A school at (i) and (ii) may also consider eligibility of a candidate who has obtained TET certificate awarded by another State/UT with legislature. In case a State Government/UT with legislature decides not to conduct a TET, a shool at (i) and (ii) that State/UT would consider the TET conducted by the Central Government."

And Whereas, the Central Board of Secondary Education (CBSE) has been authorized by the Central Government to conduct the Central Teacher Eligibility Test (CTET) for Primary and Upper Primary level-on the behalf of Central Government.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution read with the Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. F. 27/59-Him (I), dated the 13th July, 1959, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to recognize only Central Teacher Eligibility Test (CTET) conducted by the Central Board of Secondary Education (CBSE) for appointment of Teachers for Class 1 to V and Class VI to VIII in the schools of Delhi in lieu of any State Teacher Eligibility Test.

By Order and in the Name of Hon'ble Lt. Governor of Delhi,

SURESH GUPTA, Addl. Secv.